ग्राम पंचायत सौर, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के लेखों का
लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017
भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सौर, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधान

क्र0सं0	प्रधान	अवधि
1	श्री रत्न लाल	1.4.14 से 22.1.16
2	श्रीमती लक्ष्मी शर्मा	23.1.16 से आगे

सचिव

क्र0सं0	पंचायत सचिव	अवधि
1	श्री सन्तोष कुमार	1.4.14 से 31.3.17

(ख) गम्भीर अनियमितता का सारः–

ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	8 (i)	अनुदान की राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	31.24
2	9 (i)	पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.11
3	11	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय/भुगतान करना	4.60
4	16 (ii)	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	3.66

भाग–दो

2 ग्राम पंचायत सौर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाये गये है, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय, सौर में किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 3/15, 03/16 व 03/17 तथा व्यय हेतु माह 12/14, 06/15 व 02/17 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वाँछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 लेखा परीक्षा शुल्कः–

ग्राम पंचायत सौर के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक का अंकेक्षण ₹6000 बनता है। अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) के अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 76 दिनांक 14.7.2017 द्वारा यह राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु अनुरोध कर दिया गया था।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) स्व स्त्रोतों एवं अनुदानः–

(i) ग्राम पंचायत सौर के स्व स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	1439743.26	910580.69	2350323.95	599475	1750848.95
2015–16	1750848.95	1355030.44	3105879.39	631446	2474433.39
2016–17	2474433.39	4007389.95	6481823.34	2194726.26	4287097.08

परिशिष्ट "क"

(ख) इंदिरा आवास योजना (IAY)

ग्राम पंचायत सौर के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.14 से 31.3.17 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014—15	84702	119739	204441	127430	77011
2015—16	77011	165286	242297	122700	119597
2016—17	119597	35423	155020	30000	125020

परिशिष्ट "क"

(ग) मनरेगाः—

ग्राम पंचायत सौर के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3. 2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014—15	276	605866	606142	603982	2160
2015—16	2160	324646	326806	324559	2247
2016—17	2247	1305140	1307387	1307387	0

परिशिष्ट "क"

Consolidated Financial Position of Gram Panchayat Sour Dev. Block Nalagarh, Distt. Solan H.P.

Year	Opening Bal.	Income	Total	Expenditure	Closing Balance
2014-15	1524721.26	1636185.69	3160906.95	1330887.00	1830019.95
2015-16	1830019.95	1844962.44	3674982.39	1078705.00	2596277.39
2016-17	2596277.39	5347952.95	7944230.34	3532113.26	4412117.08

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करनाः—

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था तथा जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातो से मिलान करके बैंक समाधान विवरणी तैयार करनी अनिवार्य थी। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी का तैयार न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित

किया जाए तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए। ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही (वित्तीय स्थिति) तथा बैंक खातों के अन्त शेष में निम्नविवरणानुसार ₹70797.13 का अन्तर दर्शाया गया जिसका समाधान शीघ्र करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	शीर्ष	रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.17 को शेष	दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंकों तथा हस्तगत शेष	अन्तर
1	स्व स्त्रोत तथा अनुदान	4287097.08	4216299.95	70797.13
2	IAY	125020	125020	0
3	मनरेगा	0	0	0
			कुल योग	**70797.13**

नोटः— आरम्भिक तथा अन्तिम शेषों का विवरणः— ग्राम पंचायत के आरम्भिक तथा अन्तिम शेषों का विवरण निम्नानुसार हैः—

शीर्ष	दिनांक 1.4.14 को आरम्भिक शेष			दिनांक 31.3.17 को अन्तिम शेष		
	बैंक/डाकघर का नाम	खाता सं0	शेष	बैंक/डाकघर का नाम	खाता सं0	शेष
स्व स्त्रोत तथा अनुदान	Post Office Nalagarh	–––	50	JCC Nalagarh	12915/000192	819273.22
	Post Office Sour	–––	470.95	JCC Nalagarh	166	572961.00
	JCC Bank Nalagarh	–––	1202	SBOP Lohaar Ghat	55132258963	2371082.86
	SBOP Lohaar Ghat	––	68	JCC Nalagarh	235/154	450494.99
	JCC Bank Nalagarh	235	355601.99	SBOP Lohaar Ghat	––––	68.00
	JCC Bank Nalagarh	12915	1059847.72	Post Office Nalagarh	––––	50.00
	SBOP Lohaar Ghat	58963	22348.86	Post Office Sour	––––	470.95
	Cash in hand	–––	153.74	JCC Nalagarh	––––	1202.'00
	Total	–––	1439743.26	Cash in hand	––––	696.93
		–––		Total	––––	4216299.95
IAY	JCC Nalagarh	As per Cash book	84702.00	IAY	3099	125020.00
मनरेगा	SBOP Lohar Ghat	-do-	276.00	मनरेगा	65036925488	0.00

नोटः– कई बार आग्रह करने के पश्चात भी निम्नलिखित बैंकों/डाक घर में दिनांक 31.3.2017 को उनमें जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र (खाता संख्या 235/154 तथा 3099 को छोडकर) बैकों से प्राप्त करके अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। इस कारण इन खातों में दिनांक 31.3.2017 को दर्शाए गए शेषों के सही होने सम्बन्धी पुष्टि नहीं की जा

सकी। इसके अतिरिक्त SBOP लोहार घाट (शेष ₹68) डाकघर नालागढ़ (शेष ₹50) डाकघर सौर (शेष 470.97) JCC नालागढ़ (शेष ₹1202) से सम्बन्धित पास बुकें भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 उपरोक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं।

6 **रोकड़ बही के रख रखाव से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–**

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था। रोकड़ बही में कई माहों के अन्त में सक्षम प्राधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 7 (2) के निर्देशानुसार रोकड़ शेष सम्बन्धी प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे। साथ ही रोकड़ बहियों में कई प्रविष्टियाँ का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था तथा कई वाउचर्स पर प्रस्ताव संख्या भी नहीं लिखी गई थी जोकि नियम 7 (1) में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन है। अतः उपरोक्त अनियिमतताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 इन अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में हि0प्र0 पंचायती राज नियम 2002 के नियम 7 में दिए गए निर्देशों का अनुसरण कडाई से किया जाए।

(ii) निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखनाः–

पंचायत की सामान्य रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हस्तगत रूप में निम्न विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक	**राशि**
6.8.14 से 14.10.14	2556.19, 1126.19, 1149.19
9.12.14 से 27.1.16	1187.27, 1897.27, 1898.27

7 **रोकड़ बही में हस्तगत शेषों में अन्तर पाए जाने बारेः–**

रोकड़ बही (सामान्य) की पड़ताल के दौरान हस्तगत शेषों (Cash in hand) में गलत गणनाओं के कारण निम्नानुसार ₹79 का अन्तर पाया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही पृ0सं0	तिथि	रोकड़ बही में दर्शाया गया शेष	वास्तव में जितना शेष था	अन्तर
57	3.12.15	727.27	747.27	20
67	11.4.16	178.37	197.37	19
88	2.3.17	558.47	518.47	40
			कुल योग	**79**

8 अनुदानः–

(i) निर्धारित अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित राशियों का उपयोग न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ख")** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹3123560.67 शेष दर्शाई गई थी। जिससे यह प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोध होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31.3.2017 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उनसे सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करनाः–

खण्ड विकास कार्यालय द्वारा समय–2 पर ग्राम पंचायत को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु अनुदान जारी किये जाते है। निश्चित रूप से अनुदान की यह राशियाँ जारी करते समय खण्ड विकास कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश जारी किये जाते होंगे जिनमें जारी की गई राशियों उनके शीर्षों/निर्माण कायों आदि का स्पष्ट विवरण दर्ज होता होगा। परन्तु यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में खण्ड विकास कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय आदेशों/पत्रों का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान मांगने के उपरान्त भी यह पत्र/दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिस कारण विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु जारी की गई राशियों, उनके शीर्ष तथा निर्माण कार्य जिनके कार्यान्वन हेतु वे जारी की गई थी के सही होने की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख अनुदान रजिस्टर आदि जिसमें विभिन्न अनुदानों के शेषों तथा प्राप्तियों/भुगतानों

का शीर्षवार विवरण दर्ज हो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत भी नहीं किया गया जिस कारण विभिन्न अनुदानों के दिनांक 31.3.2017 को सही शेष बारे स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अभिलेख का रख रखाव करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाये तथा भविष्य में अभिलेख का नियमित रूप से Update किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व ₹0.11 लाख की वसूली शेष पाया जानाः–

(i) ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार ₹11450 राजस्व (गृहकर) की कम वसूली की थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹11450 की वसूली करके अनुपालना से आगामी पर अवगत करवाया जाए।

वित्त वर्ष	परिवारों की सं0	गृहकर का निर्धारित रेट (वार्षिक)	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान बकाया	कुल योग	वर्ष के दौरान प्राप्ति	बकाया गृहकर
2014–15	452	10	–––	4520	4520	50	4470
2015–16	460	10	4470	4600	9070	2280	6790
2016–17	466	10	6790	4660	11450	0	11450

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा न तो दिनांक 1.4.2014 को बकाया गृह कर तथा मोबाईल टावर रेंट की राशि से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाई गई तथा न ही हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार फार्म 10 पर Updated मांग एवं प्राप्ति अभिलेख प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त गृहकर तथा मोबाईल टावर के निर्धारण से सम्बन्धित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करवाए गए। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त वांछित अभिलेख Update करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किय जायें।

10 निर्माण कार्यों सम्बन्धी अनियमितताएंः–

(i) निर्माण कार्यों की समाप्ति के उपरान्त शेष बचे ₹5662.36 के 19 सीमेन्ट बैग्स बारे जानकारी उपलब्ध न करवाना (रोकड़ बही सामान्य)

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु सीमेंट जारी किया गया था। इन निर्माण कार्यों की समाप्ति के उपरान्त ₹5662.36 के 19 बैग निम्नानुसार शेष बचते थे जिन्हें वापिस सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान न तो इन बैग्स की सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर में वापसी सम्बन्धी प्रविष्टि दर्शाई गई न ही इस बारे चर्चा के उपरान्त कोई जानकारी उपलब्ध करवाई गई। अतः इस अनियमितता

बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

माह	**निर्माण कार्य का शीर्ष**	**स्टॉक रजिस्टर के अनुसार इन निर्माण कार्यों हेतु जारी सीमेन्ट बैग्स की सं0**	**माप पुस्तिका के अनुसार निर्माण कार्य पर सीमेन्ट बैग्स की खपत**	**शेष सीमेन्ट बैग्स**	**अधिक जारी सीमेन्ट की राशि**
2/17	गली नाली रजवाह उपरला	50	37	13	3853.72 (13 बैग्स x 296.44 प्रति बैग)
2/17	गली नाली लोहारी	60	55	5	1507.20 (5 बैग्स x 301.44 प्रति बैग)
2/17	पक्की गली नाली रास्ता डुग्गा	115	114	1	301.44 (1 बैग्स x 301.44 प्रति बैग)
			कुल योग	**19**	**5662.36**

(ii) चयनित मासों से सम्बन्धित निम्नलिखित निर्माण कार्यों की प्रशासनिक/वित्तीय/तकनीकी स्वीकृतियाँ, प्राक्कलन/आंकलन तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं आदि पंचायत कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**निर्माण कार्य का शीर्ष**
सामान्य	02/17	निर्माण लिंक रोड सौर से शमशान
		निर्माण पक्का रास्ता तकेड से घटयाच
मनरेंगा	02/17	भूमि सुधार प्रेम लाल पुत्र तुलसी
		भूमि सुधार भगत राम पुत्र दुर्गा
		भूमि राम पाल पुत्र सुख राम
		पक्का रास्ता खड से सायरू
		भूमि सुधार रामेश्वर पुत्र सावनु
		निर्माण टैंक फिन्जू राम पुत्र पूर्ण
		भूमि सुधार मदन लाल सौर
		भूमि सुधार रतन राम रावा

सामान्य	06/15	निर्माण लिंक रोड टेकर से सौर
मनरेगा	12/14	भूमि सुधार भगवान दास रजवाह
सामान्य	12/14	निर्माण दीवार GPS सौर
		निर्माण कमरे GPS सौर

(iii) माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरण (Material Consumption Statment) पूर्ण रूप से नहीं बनाई जा रही थी। माप पुस्तिाओं में तैयार की गई सामग्री उपयोग विवरणियों में केवल विभिन्न सामग्रियों की खपत दर्शाई जा रही थी। इनमें विभिन्न मदों में निर्माण सामग्रियों की Consumption निकालने हेतु Consumoption factors का विवरण नहीं दिया गया जा रहा था जिसके अभाव में निर्माण सामग्रियों के सही उपयोग की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। अतः भविष्य में सामग्री उपयोग विवरणी (Material Consumption Statement) पूर्ण रूप से तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि निर्माण कार्यों में खपत की गई निर्माण सामग्रियों के सही उपयोग की पुष्टि की जा सके।

(iv) यह भी पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में कुछ निर्माण कार्यों के आरम्भ तथा समाप्ति होने की तिथियों की प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी। जिस कारण निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर निष्पादित किये जा रहे है इस तथ्य की पुष्टि करना सम्भव नहीं होता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

(v) ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 95 (1) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण नहीं किया जा रहा था। ग्राम पंचायत द्वारा न तो register of technical checks and technical sanctioned estimates का रजिस्टर form-31 पर तैयार किया जा रहा था तथा न ही estimates की छाया प्रतियाँ higher technical authority को submit की जा रही थी जोकि अनियमित है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गए निर्देशों का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रय सम्बन्धी अनियमितताएः—

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.60 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना तथा JCB से कार्य करवानाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित

है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका संख्या 1 तथा 2 में क्रमशः ₹386574 स्टोक/स्टोर का क्रय तथा ₹74400 JCB का भुगतान औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इसके अतिरिक्त तालिका 2 में दर्शाए गए कुछ निर्माण कार्यों जोकि जेसीबी से करवाए गए थे कि सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा माप उपरान्त माप पुस्तिका में की गई प्रविष्टियाँ भी नहीं दर्शाई गई जिसकी अनुपस्थिति में जेसीबी चार्जिज का किया गया भुगतान उचित व तर्कसंगत था इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः जेसीबी द्वारा करवाये गये कार्यों की माप पुस्तिका में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाये। निम्न प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों में भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त नियमों में प्रावधित औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय तथा JCB हेतु किये गये भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियमों का अनुसरण कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

तालिका संख्या 1

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य	12/14	41	4950	सीमेंट ढुलान
			15000	बजरी
			10000	बजरी
	02/17	84	10886	बजरी
			5600	रेत
			2800	रेत
			5500	बजरी
			1425	सीमेंट ढुलान
			22800	सीमेंट ढुलान
			19094	रेत तथा बजरी
			14400	रेत तथा बजरी
			2640	सीमेंट ढुलान
			1980	सीमेंट ढुलान
			8125	गटका तुडान
			8750	—यथोपरि—

	2560	सीमेंट ढुलान
	713.86	—यथोपरि—
	8000	रेत, बजरी क्रय तथा ढुलान
	15330	—यथोपरि—
	3360	सीमेंट ढुलान
85	11500	रेत, बजरी क्रय तथा ढुलान
	22833	—यथोपरि—
	1480	सीमेंट ढुलान
	370	—यथोपरि—
	4000	गटका तुडान तथा क्रय
	3000	—यथोपरि—
	4500	रेत तथा बजरी
	8944	—यथोपरि—
	1840	सीमेंट ढुलान
	460	—यथोपरि—
	5500	रेत क्रय तथा ढुलान
	10992	बजरी क्रय तथा ढुलान
	5000	गटका
	4200	गटका
	1440	सीमेंट किराया
	6400	रेत क्रय तथा किराया
	3200	बजरी क्रय तथा किराया
	4800	रेत क्रय तथा किराया
	2400	बजरी
	848	ढुलान
	1600	सीमेंट ढुलान
	800	—यथोपरि—
	2000	रेत क्रय तथा ढुलान
	4000	बजरी क्रय तथा ढुलान
86	5000	रेत क्रय तथा ढुलान
	10000	बजरी क्रय तथा ढुलान
	4640	सीमेंट ढुलान

11200	रेत क्रय तथा ढुलान
22400	बजरी
1740	सीमेंट ढुलान
5600	रेत क्रय तथा ढुलान
11171	बजरी ढुलान
2200	सीमेंट ढुलान
825	–यथोंपरि–
5400	रेत क्रय तथा ढुलान
10800	बजरी क्रय तथा ढुलान
7577	रेत बजरी ढुलान
12000	शेटरिंग
386573.86 Say ₹386574	

तालिका संख्या 2

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि (₹)	संविदाकार का नाम
सामान्य	02/17	86	18400	श्री चन्द्र शेखर
		87	10000	–यथोपरि–
			6000	–यथोपरि–
			20000	–यथोपरि– (माप पुस्तिका में प्रविष्टियाँ नहीं दर्शाई गई)
	12/14	41	20000	–यथोपरि–(माप पुस्तिका में प्रविष्टियाँ नहीं दर्शाई गई)
	कुल योग		**74400**	

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त तालिका 2 में दर्शाए गए संविदाकारों/ठेकेदारों को भुगतान करने से पूर्व निम्नलिखित वैधानिक कटौतियाँ भी नहीं की गई थी जिस कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई थीः–

(i) आयकर 2%

(ii) सेल्स टैक्स 3%

(iii) प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति राशि 10%

(iv) लेबर सैस 1%

अतः उपरोक्त कटौतियों को सम्बन्धित बिल से न किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए। भविष्य में नियमानुसार सभी वैधानिक कटौतियाँ करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 भुगतानों के एवज में प्राप्त पावतियाँ प्रस्तुत न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/व्यय की एवज में पावती प्राप्त की जानी अपेक्षित है। यह प्रतीत होता है कि इन निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से नहीं किया जा रहा है क्योंकि व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि क्रय किये गए मेटीरियल तथा अन्य भुगतानों हेतु सम्बन्धित फर्मों/कार्यालय से भुगतान की एवज में जो पावतियाँ प्राप्त की गई थी वे भुगतान की गई राशियों से मेल खाती थी। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वस्तुस्थिति एवं अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में पावतियाँ ली जानी सुनिश्चित की जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण	रोकड़ बही में भुगतान की गई राशि (₹)	जितनी राशि की पावती प्राप्त की गई थी	बिल की राशि
सामान्य	02/17	86	रेत तथा बजरी का ढुलान	7577	7991	8100 (2700+5400) वाउचर संख्या 130
		84	सीमेंन्ट का ढुलान	3273.86 बिल पर पारित आदेश स्पष्ट नहीं था। शब्दों में 3273.86 तथा अंको में 713.86 था	3273.86	3520 (2560+960) वाउचर संख्या 81 तथा 82

13 ₹1510 का अधिक भुगतान करनाः—

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा गलत गणनाओं के कारण निम्नानुसार ₹1510 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	किया गया भुगतान	जितना भुगतान बनता था	अधिक भुगतान	टिप्पणी / विवरण
मनरेगा	02 / 17	5	12240	11220	1020	मस्टर रोल नं0 1759
		5	16830 (माप पुस्तिका के अनुसार	16660	170	मस्टर रोल नं0 1806
सामान्य	02 / 17	84	7462	7220	242	मस्टर रोल नं0 491
	02 / 17	86	15000 (5000+10000)	14922	78	वाउचर संख्या 116 तथा 117
				कुल योग	**1510**	

14 जलपान करवाए जाने से सम्बन्धित अनियमितता बारेः—

व्यय की पड़ताल के दौरान माह 02 / 17 में ₹5600 (रोकड़ बही सामान्य पृष्ठ संख्या 84) का व्यय जलपान पर किया गया था परन्तु वाउचर में इस बारे कोई भी विवरण दर्ज नहीं था कि यह जलपान किन्हें तथा किस उद्देश्य हेतु करवाया गया था। इस कारण इन भुगतानों को सही नहीं माना जा सकता है। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

15 चौकीदार का वेतन तथा भत्ते के भुगतान सम्बन्धी अनियमितताएंः—

माह 02 / 17 में ₹28280 (पृष्ठ संख्या 84, रोकड़ बही सामान्य) का पंचायत चौकीदार को बकाया वेतन, भत्ते का भुगतान किया गया था। किये गए कुल भुगतान में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई। अतः इनके बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वस्तुस्थिति तथा अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(i) चौकीदार को मार्च से जून तक ₹600 भत्ते का भुगतान किया गया था परन्तु यह भुगतान किस वर्ष से सम्बन्धित था इस बारे न तो रजिस्टर में कोई विवरण दर्ज था न ही इस बारे स्थिति स्पष्ट की गई।

(ii) चौकीदार को मार्च से जून तक ₹200 भत्ते का भुगतान किया गया था परन्तु यह भुगतान किस वर्ष से सम्बन्धित था इस बारे न तो रजिस्टर में कोई विवरण दर्ज था न ही इस बारे स्थिति स्पष्ट की गई।

(iii) ₹28280 भुगतान के एवज में न तो चौकीदार से पावती प्राप्त की गई थी न ही रजिस्टर मे ंउसके हस्ताक्षर लिए गए थे।

16 स्टोर/स्टॉकः–

(i) प्रत्यक्ष सत्यापन न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। ग्राम पंचायत के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

(ii) स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विभिन्न स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की प्राप्ति तथा जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ स्टॉक सामग्री रजिस्टर में नहीं की गई थी। जिसके कारण वास्तव में सामग्री की खरीद की गई थी अन्यथा नही? की पुष्टि नहीं की जा सकी और न ही खपत की जाँच की जा सकी। निम्न प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों मे भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं। ग्राम पंचायत के अनुसार स्टॉक सामग्री रजिस्टर Update करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया दिया जाएगा।

तालिका सं0 1

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
			10000	बजरी
			30788	सीमेंट
	02/17	84	10886	बजरी

	5600	रेत
	2800	रेत
	5500	बजरी
	22800	सीमेंट ढुलान
	19094	रेत तथा बजरी
	14400	रेत तथा बजरी
	8125	गटका तुडान
	8750	—यथोपरि—
	8000	रेत, बजरी क्रय तथा ढुलान
	15330	—यथोपरि—
85	11500	रेत, बजरी क्रय तथा ढुलान
	22833	—यथोपरि—
	4000	गुटका तुडान तथा क्रय
	3000	—यथोपरि—
	4500	रेत तथा बजरी
	8944	—यथोपरि—
	5500	रेत क्रय तथा ढुलान
	10992	बजरी क्रय तथा ढुलान
	5000	गटका
	4200	गटका
	6400	रेत क्रय तथा किराया
	3200	बजरी क्रय तथा किराया
	4800	रेत क्रय तथा किराया
	2400	बजरी
	2000	रेत क्रय तथा ढुलान
	4000	बजरी क्रय तथा ढुलान
86	5000	रेत क्रय तथा ढुलान
	10000	बजरी क्रय तथा ढुलान
	11200	रेत क्रय तथा ढुलान
	22400	बजरी
	5600	रेत क्रय तथा ढुलान
	11171	बजरी ढुलान

	5400	रेत क्रय तथा ढुलान
	10800	बजरी क्रय तथा ढुलान
	7577	रेत बजरी ढुलान
	12000	शेटरिंग
कुल योग	**366490**	

(iii) स्टॉक सामग्री रजिस्टर के रख रखाव बारेः–

स्टॉक सामग्री रजिस्टर (प्रारूप–6) का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था। रजिस्टर में सीमेंन्ट बैग्स के शेषों तथा निर्माण कार्यों को जारी करने सम्बन्धी कई प्रविष्टियों (वर्ष 2016–17) में कटिंग तथा ओवर राईटिंग की गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

17 **विविधः–**

(i) रसीद बुक के इस्तेमाल से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा काउंट सर्टिफिकेट नहीं किया जा रहा था। अंकेक्षण के दौरान रसीद बुक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण रसीद बुकों की प्रविष्टियों तथा उनके शेषों सम्बन्धी पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रसीद बुक रजिस्टर update करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

(ii) सावधि निवेशः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचायत को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। यह प्रतीत होता है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में स्वस्त्रोतों से प्राप्त आय को नियमानुसार सावधि जमा में निवेश किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।

(iii) बिल पारित करने सम्बन्धित निर्देशों का पालन न करनाः–

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे अधिकतम भुगतानों को केवल प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया गया था जोकि अनियमित है। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमें लिखते हुए संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित न किया गया हो। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि कई भुगतान सक्षम प्राधिकारी के सत्यापन के बिना ही कर दिए गए थे जोकि निम्नलिखित कुछ प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है। अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए साथ में निम्नलिखित प्रकरणों बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही भी की जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि	विवरण
सामान्य	02/17	84 तथा 85	4620 (3360+1260)	सीमेंट ढुलान (वाउचर संख्या 86 तथा 87)
	06/15	51	18000	सिलाई अध्यापिका का वेतन रजिस्टर पर पारित आदेश नहीं था।

(iv) मस्टर रोल्स सम्बन्धी अनियमितताओं बारेः–

यह भी पाया गया कि अधिकतम प्रकरणों में निर्माण समिति/Village monitoring committee (vmc) द्वारा मस्टर रोल्स पर निर्माण कार्यों के ठीक से होने बारे सत्यापन नहीं किया गया था । Muster Rolls का Part III (रोकड़ बही, सामान्य) जिसमें भुगतान से पूर्व निर्माण कार्य का माप/अन्य विवरण भरा जाना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है यह नहीं किया जा रहा था। Muster Rolls रजिस्टर के स्तम्भों में भी सम्पूर्ण विवरण नहीं भरा जा रहा था तथा Muster Rolls को क्रमानुसार जारी नहीं किया गया था। मनरेगा के Muster Rolls मस्टर रोल से सम्बन्धित Muster Rolls रजिस्टर भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मनरेगा से सम्बन्धित Muster Rolls रजिस्टर Update करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

(v) बजट आंकलन (Budget estimate) निर्धारित समय अवधि में पारित न करवाने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 37 की में दिये गये निर्देशों का अनुसरण पूर्णतया नहीं किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2014—15, 2015—16 व 2016—17 से सम्बन्धित बजट आंकलन निर्धारित समय (28 फरवरी से पूर्व) के भीतर पारित नहीं करवाया गया था। साथ ही बजट निर्धारित फार्म 11 पर नहीं बनाए गए थे। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट आंकलन निर्देशानुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार/पारित करवाया जाना तथा विहित फार्म "11" पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vi) विहित रजिस्टरों के रख रखाव बारेः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान स्टेशनरी रजिस्टर (फार्म—28), miscellaneous demand and collection register (फार्म—10), अस्थाई अग्रिम रजिस्टर, (फार्म—9) Register of bills received (फार्म—13), Stock register of non consumable articles (फार्म—25), Stock register of consumable articles other than stationary and printed material (फार्म—26), माप पुस्तिका रजिस्टर, रसीद बुक स्टोक रजिस्टर आदि कई बार मांगने के उपरान्त भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता है कि इनका रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त रजिस्टर आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए। भविष्य में उपरोक्त नियमानुसार रजिस्टर का रख रखाव तथा नियमित रूप से उनका update किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vii) अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण भुगतान सम्बन्धी आवश्यक पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण पर निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि	विवरण
सामान्य	12/14	40	140	स्टेशनरी का क्रय
		40	150	—यथोपरि—
		41	20000	JCB हेतु भुगतान

18 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** अलग से जारी नहीं की गई।

19 **निष्कर्षः—** खातों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(4) 39/2017—खण्ड—1—216—219 दिनाँक 09.01.2018
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नालागढ़ तहसील नालागढ़ जिला सोलन, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत सौर विकास खण्ड नालागढ़, तहसील नालागढ़ जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881